

सार्वजनिक सूचना / अधिसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका कलानौर सीमा क्षेत्र के अन्दर स्थित विवाह स्थल, होटल, नर्सिंग होम, हस्पताल, रेस्टोरेंट, ढाबे, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कालेज, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि में दिन-प्रतिदिन जो भी कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं या प्रतिदिन जिन भी संस्थाओं के अन्दर से कूड़ा-कर्कट 20 किलोग्राम से अधिक एकत्रित होता है तो उसका निपटान संस्थाएं स्वयं अपने स्तर पर करना सुनिश्चित करें। यदि नगरपालिका कलानौर सीमा में कोई भी विवाह स्थल, होटल, नर्सिंग होम, हस्पताल, रेस्टोरेंट, ढाबे, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कालेज, शैक्षणिक संस्थान या कोई अन्य संस्थान जिसका कूड़ा-कर्कट 20 किलोग्राम से अधिक पाया जाता है तो उसका उठान नगरपालिका कलानौर द्वारा करवाने उपरांत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 व अन्य के तहत प्रति किलोग्राम का चार्ज व चालान कर दिया जाएगा, जिसके हर्जे-खर्चे के आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

सचिव,
नगर पालिका कलानौर।